

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

1672
5

// विविध आदेश //

क्रमांक.....135/

/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 28/07/2025

श्री दिलीप माहोर, नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय में लंबित सिविल प्रकरण क्रमांक-आरसीएसए क्र0-09/2023 अनीता सोंधिया वि0 प्रभुनाथ एवं अन्य में दावा का मूल्य 560000 होने एवं कार्य विभाजन पत्रक अनुसार 5 लाख 01 रुपये से 01 करोड़ रुपये तक के सभी प्रकार के व्यवहार वाद के सुनवाई का क्षेत्राधिकार व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड की न्यायालय को होने के कारण सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री दिलीप माहोर, नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय में लंबित सिविल प्रकरण क्रमांक-आरसीएसए क्र0-09/2023 अनीता सोंधिया वि0 प्रभुनाथ एवं अन्य को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री शैलेन्द्र रैकवार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0.....3697/
/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 28/07/2025

प्रतिलिपि:-

1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा
2. नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
5. जे0एस0ए0/डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)